



2026:AHC-:27328-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 2661 / 2026

सरदार अली व 3 अन्य

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 2 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	कुंवर भास्कर परिहार
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रारंभ में ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह संकेत दिया है कि प्रस्तुत मामले में विवेचना पहले ही पूर्ण हो चुकी है और याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके और उन्होंने बयान दिया कि वह इस रिट याचिका को नहीं करना चाहते हैं और उचित स्तर पर उचित मंच के समक्ष जाने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।
5. नियमों के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति वापस कर दी जाए।

फरवरी 5, 2026

केएस

(अचल सचदेव, जे.) (राजीव गुप्ता, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"